

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 29/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

होम फर्स्ट फाइनेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, पता-605-606, सिटी कॉर्पोरेट टॉवर, मुगल रसाई क  
ऊपर, अग्रसन सर्किल के पास, सी-स्क्रीम जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री बाबूराम,  
पता:- 654-डी, नारायण विहार-ओ, ब्लॉक गणपतपुरा, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बाबूराम,  
पता:- 03, कृष्णा कॉलोनी, विधानसभा नगर, ग्राम धौलाई, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एव गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002



उपस्थित श्री विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री विजय प्रकाश एवं श्री विक्रम सिंह के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 654-डी, नारायण विहार, ओ ब्लॉक, फेज-5, ग्राम असरपुरा, गणपतपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 22,74,177/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राणी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 का सफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राधीमणों को कुल राशि 22,74,177/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीमण ने उपरोक्त वीणेत सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राणी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधीमण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 26,71,262/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राधीमण को दिनांक 09.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राधीमण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीमण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राणी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी श्री विजय प्रकाश एवं श्री विक्रम सिंह के संयुक्त स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 654-डी, नारायण विहार, ओ ब्लॉक, फेज-5, ग्राम असरपुरा, गणपतपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली



दस्तावेज से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कलक्टर) जयपुर